पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 05/2020

दायर दिनांक – 18.02.2020

निर्णय दिनांक – 10.01.2022

जीसीएमएस नं0 –2020/00023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री विजय सिंह पुत्र श्री हरजी रावत जाति रावत तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्राथना–पत्र अन्तगत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री फिरोज मोहम्मद, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 610/2352, 610/2685, 622, 623, 626, 626/2625, 626/2686 कुल किता 07 कुल रकबा 2.44 हैक्ट. में वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी विजय सिंह पुत्र हरजी की खातेदारी इन्द्राज करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी पैरोकार सरकार /तहसीलदार, पुष्कर द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

पुष्कर/कोर्ट/2021/111 दिनांक 06.01.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " प्रार्थी विजयसिंह पुत्र हरजी जाति रावत ने वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार स्वयं का इन्द्राज दर्ज कराने बात वाद दायर किया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम गनाहेड़ा के हाल खसरा नम्बरान 610/2352 रकबा 0.29, 610/2685 रकबा 0.01, 622 रकबा 0.01, 623 रकबा 1.03, 626 रकबा 1.05, 626/2625 रकबा 0.04, 626/2686 रकबा 0.01 किता 7 रकबा 2.44 सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी खातेदार का नाम वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज है जो कि भू–प्रबन्ध के समय आधार जमाबन्दी में दर्ज होने से सहवन से छूट गया। प्रार्थी खातेदार विजयसिंह एवं इसके भाई रणजीतसिंह व बाबूलाल पि. हरजी जाति रावत तीनों का वर्किंग जामाबन्दी अनुसार 1/4 हिस्सा बनता है। इन तीनों भाईयों ने स्वयं के 1/4 हिस्से में से अर्थात 03 बीघा 18 बीस्वा में से 30 बिस्वा भूमि स्वयं के भाई रामसिंह पुत्र हरजी जाति रावत को रिलीज की थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 09.11.2004 को दर्ज हो गया। सहवन से आधार जमाबंदी में विजयसिंह रणजीतसिह बाबूलाल पि. हरजी का अंकन आधार जमाबन्दी में छूट गया जिसे पुनः वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 610/2352, 610/2685, 622, 623, 626, 626/2625, 626/2686 कुल किता 07 कुल रकबा 2.44 हैक्ट. में वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी विजय सिंह पुत्र हरजी की खातेदारी इन्द्राज करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, पुष्कर (अजमेर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 610/2352, 610/2685, 622, 623, 626, 626/2625, 626/2686 कुल किता 07 कुल रकबा 2.44 हैक्ट. में वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 के खाता सं. 393 के अनुसार प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:24 IST
Reason: SelfAttested

10.01.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

सिंह पुत्र हरजी की खातेदारी दर्ज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

10.01.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:24 IST
Reason: SelfAttested